उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग।

(जिला पंचायत राज शाखा)

अल्पकालीन निविदा संख्या 01/2021–21

त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन 2021 में प्रयोग आने वाले मतपेटिकाओं (बड़ा, मध्यम एवं छोटा) की मरम्मति, रंगाई, तैलीकरण हेतु पूर्व में राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा अनुमोदित दर के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता द्वारा तकनीकी बीड (Technical Bid) एवं वित्तीय बीड (Financial Bid) दो अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक 07-08-2021 के अपराह्न/पूर्वाह्न 2:00 बजे तक जिला पंचायत राज कार्यालय, हजारीबाग के निविदा मतपेटी में डाला जा सकता है। प्राप्त निविदा को उसी दिन 3:00 बजे अपराह्न में निविदा समिति के समक्ष उप विकास आयुक्त, हजारीबाग के कार्यालय कक्ष में खोला जाएगा।

–: निविदा की शर्तें :–

1. **तकनीकी बीड (Technical Bid) :–**
   - (i) निविदादाता को अद्यतन आयकर एवं वाणिज्य कर विवरणी का ब्यौरा समर्पित करना होगा।
   - (ii) निविदादाता को निविदा के साथ 20,000/– (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित राशि तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला पंचायत राज पदाधिकारी, हजारीबाग के नाम से देय होगा।
   - (iii) निविदादाता द्वारा व्यवसाय से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - (iv) तकनीकी बीड के साथ पूर्व चुनाव में कार्य करने का कोई अनुभव/कार्यदिश हो तो संलग्न कर सकते हैं। अन्य शर्तें पूर्ण करने पर अनुभव वाले फर्म को प्राथमिकता दी जा सकती है।
   - (v) निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करेंगे की उन्हें काली सूची में नहीं डाला गया है।
2. पूर्व में निर्वाचन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने वाले निविदादाता निविदा के पात्र नहीं होंगे।
3. **वित्तीय बीड (Technical Bid) :–** वित्तीय बीड के लिफाफें में तीनों प्रकार के मतपेटिका की मरम्मती, रंगाई, तैलीकरण से संबंधित दर अलग–अलग प्रति मतपेटिका के दर के अनुसार अंकित करना होगा।
4. निविदादाता द्वारा कार्य की गुणवत्ता (मरम्मति, रंगाई, तैलीकरण) पर विशेष ध्यान देते हुए उत्तम क्वालिटी का सामग्री इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।
5. निर्धारित अवधि में मतपेटिकाओं की (मरम्मति, रंगाई, तैलीकरण) करने संबंधी शपथ पत्र कार्यदिश निर्गत होने के पूर्व जमा करना होगा। समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अथवा काली सूची में डाला जा सकता है।

Scanned with CamScanner

6. एजेन्सी द्वारा समय पर एवं सही ढंग से कार्य नहीं करने की स्थिति में समय पर कार्य सम्पादित करने के उद्देश्य से न्यूनतम स्वीकृति दर पर कार्य एक से अधिक संवेदकों के बीच आवंटित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी का होगा।

7. कार्य स्थल से भण्डारण स्थल तक मतपेटिकाओं को लाने से जाने हेतु किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

8. निविदा स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

9. निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

10. निविदा संबंधी यदि कोई मामला भविष्य में न्यायालय में जाता है, तो ऐसे सभी मामले हजारीबाग क्षेत्राधिकार अन्तर्गत न्यायालय में ही चलाए जाने हेतु मान्य होंगे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
—सह—उपायुक्त, हजारीबाग।

Scanned with CamScanner